(ङ) क्या सरकार ने इसी अवधि के दौरान स्क्रैप के आयात पर सीमा-शुल्क में वृद्धि कर दी है; और

(च) यदि हां, तो इसी अवधि के दौरान कौन-कौन सी अन्य वस्तुओं के आयात पर सीमा-शुल्क में वृद्धि की गई है तथा इन दो प्रकार के आदेशों के परिणामस्वरूप कितनी हानि और लाभ होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारत की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से पर्यटन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित राज्य पर्यटन निगमों, वर्गीकृत होटलों, टूअर आपरेटरों, पर्यटक परिवहन संचालकों तथा यात्रा एजेंसियों द्वारा वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित कोचों के आयात के लिए रियायती आयात शुल्क की व्यवस्था की गयी है जिसे संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में अदा किया जाना होता है।

(ख) वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित कोचों पर देय रियायती आयात शुल्क मूल्यानुसार 50 प्रतिशत है । वातानुकूलित कारों के संबंध में आयात शुल्क में कटौती की सीमा 175.5 प्रतिशत है और वातानुकूलित कोचों के मामले में 108.3 प्रतिशत है ।

(ग) और (घ) गत 6 महीनों के दौरान गोल्फ के उपस्करों को छोड़कर विलासिता की अन्य वस्तुओं पर आयात शुल्क कम नहीं किया गया है । पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, पर्यटन महानिदेशक द्वारा अनुमोदित विनिर्दिष्ट आयातकों द्वारा आयातित गोल्फ उपस्करों पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत तक घटा दिया गया है जबकि सामान्य दर 110 प्रतिशत है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) गत 6 महीनों के दौरान, आयात शुल्क में वृद्धि केवल वल्क औषधि (रिफैम्पिसीन) पर की गयी है और इसे शून्य से 80 प्रतिशत तक किया गया है ताकि मूल स्तर से रिफैम्पिसीन का विनिर्माण देश में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । इस वृद्धि के कारण आनुमानिक राजस्व लाभ प्रति वर्ष लगभग 6 करोड़ रुपए का होगा ।

गोल्फ उपस्करों पर शुल्क कम करने के कारण शुल्क हानि का आकलन नहीं किया जा सकता है । वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित कोचों के मामले में शुल्क रियायत देने से कुल मिलाकर क्रमशः 64 करोड़ रुपए और 164 करोड़ रुपए का आयात शुल्क छोड़ना पड़ेगा । तथापि, राजस्व हानि आनुमानिक है क्योंकि रियायती शुल्क न लगाने से सामान्यतः वातानुकूलित कारों और वातानुकूलित कोचों का बड़े पैमाने पर आयात नहीं होगा ।

बैंकों द्वारा ऋण को बट्टे खाते में डालने के संबंध में मानदण्ड और दिशानिर्देश

2228. **डा. जितेन्द्र कुमार जैन,**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रतिवर्ष भारी धनराशि बट्टे-खाते में डाली जा रही है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों में जो अधिकरते समय उन अधिकारियों को कतिपय पदनाम क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में स्वीकृति प्रदान करते समय उन अधिकारियों को कतिपय दिशानिर्देशों और मानदण्डों का पालन करना होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि इन दिशानिर्देशों और मानदण्डों की अवहेलना करके भी धनराशि को बट्टे खाते में डालने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है; और

(च) यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक ऋण संस्थाएं हैं और इस कारण दी गई राशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बावजूद कुछ राशि अशोध्य हो ही जाती है । भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनमें अशोध्य राशियों को बट्टे खाते में डालने से पहले ध्यान में रखे जाने वाले तथ्यों का उल्लेख किया गया है । इन मार्गनिर्देशों के अनुसार बट्टे खाते में डालने और समझौता प्रस्तावों को स्वीकार करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए :—

(1) जो प्राधिकारी बट्टे खाते के प्रस्तावों को स्वीकार कर रहा हो उसने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से प्रश्नगत अग्रिम मंजूर न किया हो ।

(2) अग्रिमों को मंजूर करने वाले प्राधिकारी ने अपने अधिकारों का न्यायाधिक ढंग से उपयोग किया हो और अग्रिमों की मंजूरी के मामले में बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का पालन किया हो ।

(3) कर्मचारियों की ओर से ऐसी कोई भूल-चूक न की गई हो जिससे ऋण वसूली न की जा सके ।

(4) अग्रिमों की मंजूरी और संवितरण के बाद के पर्यवेक्षण में कोई ढील न की गई हो ।

(5) देय राशियों की वसूली के लिए सभी संभव उपाय किए गए हों और भविष्य में ऋण वसूली की कोई संभावना न हो । राशि को बट्टे खाते डालना या समझौता करना बैंक की बेहतरी के लिए है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 1992 में बैंकों से कहा था कि अशोध्य ऋणों/हानियों के बट्टे खाते डालने और समझौते करने के लिए अलग-अलग बैंकों के निदेशक बोर्ड अपने विभिन्न कार्यकर्ताओं को उपयुक्त अधिकार दे सकते हैं । अलबत्ता, ये अधिकार बोर्ड द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों/शर्तों और सूचनाओं पर आधारित होने चाहिए ।

SIDBI's Scheme for Financial Support to Small Scale Entrepreneurs

2229. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Small Industrial Development Bank of India has recently, launched a new scheme for extension of Financial support directly to small scale entreprencurs for venture capital project using innovative indigenous technology and expertise, if so, what are the details thereof and what are, the details of its implementation;

(b) what are the norms and attractive terms being offered by the SIDBI for Financial assistance to such projects referred to above;

(c) what forms of Financial assistance Maximum/Minimum including working capital is being offered by the SIDBI to small scale units for venture capital projects; and

(d) whether SIDBI has recently also offered direct Finance to existing well run small units for acquisition of new machinery for expension and diversification, if so, what are the details thereof and its early implementation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH) : (a) to (c) Small Industries Development Bank of India (SIDBI) have, in October 1992, constituted a Venture Capital Fund with a corpus of Rs. 10 crores for extension of support to Small Scale entrepreneurs using innovative technology and expertise. SIDBI would be assisted by a Committee of experts drawn from diverse fields in evaluating ventures and would also develop expertise to render management and technical support to assisted ventures. The norms and parameters under this scheme are expected to be worked out by early next year.

(d) SIDBI has recently introduced a direct finance scheme viz. Equipment Finance Scheme, for acquisition of new machinery/equipment both indigenous and imported by existing well run SSI